समाहरणालय, बक्सर
(नजारत शाखा)
नगर भवन स्थित इन्डोर मल्टी जिम के वाह्य स्रोत से संचालन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के सौजन्य से नगर भवन स्थित प्रथम तल पर इन्डोर मल्टी जिम का अधिष्ठापन कराया गया है। उक्त जिम का संचालन आउटसोर्स के माध्यम से डाक बोली के आधार पर कराने हेतु अनुभव प्राप्त व्यक्ति / फर्मो से ऑफर आमंत्रित किया जाता है। इच्छुक व्यक्ति / फर्म निम्नलिखित शर्त्तों के साथ दिनांक 16.12.19 तक आवेदन जिला नजारत शाखा, बक्सर में जमा कर दिनांक 17.12.2019 को 03:00 बजे अप0 में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में डाक बोली में भाग ले सकते हैं।

शर्त्तेः–

01. कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार द्वारा सम्मानित राष्ट्रीय स्तरीय / राज्य स्तरीय / जिला स्तरीय खिलाड़ियों को डाक बोली में भाग लेने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
02. आवेदन पत्र के साथ जमानत राशि के रूप में 10000.00 (मो0 दस हजार रुपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से संलग्न करना अनिवार्य होगा।
03. न्यूनतम डाक बोली 5000.00 (पाँच हजार रुपये मात्र) मासिक राशि से प्रारम्भ होगी।
04. आवेदन पत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं आवासीय प्रमाण – पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। संस्था की स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र के साथ – साथ GST का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
05. सफल डाक वक्ता के द्वारा जिम का संचालन उसके रख–रखाव, मरम्मति, सामग्रियों की सुरक्षा, साफ–सफाई एंव प्रतिभागियों के साथ कुशल व्यवहार की जिम्मेवारी होगी।
06. सफल डाकवक्ता के द्वारा जिम संचालन हेतु पुरुष एवं महिला के लिए अलग–अलग समय तालिका एवं प्रतिभागियों के लिए न्यूनतम शुल्क का निर्धारण कर उक्त प्राप्त राशि से जिम का संचालन करना होगा। समय तालिका एवं शुल्क निर्धारण तथा सुरक्षित जमा राशि के बिन्दु पर जिला खेल पदाधिकारी, बक्सर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिम संचालन हेतु पुरुष पाली में पुरुष प्रशिक्षक तथा महिला पाली में महिला प्रशिक्षक रखना होगा। उक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय मान्य होगा।
07. सफल डाकवक्ता के द्वारा सुरक्षित जमा राशि के रूप में 100000.00 रू0 (एक लाख रू0 मात्र) का बैक ड्राफ्ट जिला पदाधिकारी, बक्सर के पदनाम से जमा करना होगा, जो अग्रधन के रूप में रहेगा। सामग्री के क्षतिग्रस्त इत्यादि होने पर उक्त अग्रधन राशि से इसकी भरपाई की जाएगी।
07. इच्छुक व्यक्ति के द्वारा आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा। साथ ही इस आशय का नोटरी से निर्गत शपथ पत्र देना होगा कि उनके उपर किसी थाना में प्राथमिकी वगैरह दर्ज नहीं है।
08. सफल डाक वक्ता के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक शुल्क जिला नजारत शाखा में जमा करना होगा।
09. जिम संचालन हेतु अलग से किसी भी प्रकार का मानदेय / पारिश्रमिक देय नहीं होगा और न ही भविष्य में इसका दावा किया जायेगा।
10. सफल डाकवक्ता के द्वारा Outsourcing की अवधि समाप्त होने पर जिम उपकरण को सुरक्षित स्थिति में हस्तानान्तरण करना अनिवार्य होगा।

विशेष जानकारी के लिए वेबसाईट www.buxar.bih.nic.in पर देखा जा सकता है तथा किसी भी कार्य दिवस में नजारत उपसमाहर्त्ता, बक्सर से सम्पर्क किया जा सकता है।

25/11/19

राघवेन्द्र सिंह, भा0प्र0से0
जिला पदाधिकारी, बक्सर